

पिसा लो

2

25/06/18 पमावली झाब लोक हाहालत को रोकने
 के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया।
 जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया कि
 पमावली में उपलब्ध दस्तावेजों
 को अवलोकन किया गया। गिरसावल
 द्वारा की जावा व दस्तावेजों को
 चेका वही किया जाता। गिरसावल को
 जावा बंद किया जाकर व सुसंगत
 विधि को देखा जाकर साइमाकेसी
 कस व सुविधा का संकलन कृतिनीय
 जाति आगल के पक्ष में होना

Oh

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

नांक

फर्द अहकाम

प्रतीत होता है कि न्यायालय इस
 मिसल पर पहुँचता है शायद उरा
 प्रस्तुत सा.पत्र अरु शायी निषेधाज्ञा
 स्वीकार किने जाने योग्य है किता
 प्राठ पत्र अन्तर्गत द्वारा 212 समेत निषेधाज्ञा
 निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है
 निर्णय प्रथम से निषेधाज्ञा जाकर
 शामिल मिसल रहे पत्रावली मिसल
 अन्तर्गत मानी जाकर शामिल वाद
 रहे

महेन्द्रसिंह यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 कृष्ण कृष्ण प. सा.प.